

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई भाग-4 को परिक्षेत्र सोहागपुर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 273 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 79.939 हेक्टेयर वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: .08.2021

स्थान: भोपाल


(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव (संजय मोहरीर)
वन विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग शासन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी औयारण्य के वनग्राम सुपलई भाग-3 को परिक्षेत्र सोहागपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-225 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 100.00 हेक्टेयर वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .06.2020

स्थान: भोपाल


14.6.21
(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलाई भाग-2 को परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-179 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 50.00 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .04.2020

स्थान: भोपाल

28/11/20
(संजय मोहरीर)

पदेन सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

145

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई भाग-1 को परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-174 में विस्थापित/पुनर्वास किए जाने हेतु 110.00 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .04.2020

स्थान: भोपाल


 28.4.21
 (संजय मोहरीर)
 पदेन सचिव (संजय मोहरीर)
 मुख्य सचिव, वन विभाग
 भोपाल-47 शासन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)